In the result I hold that the action of the management of Putki Balihari Project of M/s. B.C.C. Ltd. in not placing the concerned workman Shri Shristidhar Maharaj in Cat. VI with effect from 4-2-81 is justified and that the concerned workman is not entitled to any relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

Dt. 26-12-85.

[No. L-20012/27/85-D. III(A)]

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1986

का. आ. 268 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की लोयाबाद कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-1-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th January, 1986

S.O. 268.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Loyabad Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th January, 1986.

(ANNEXURE)

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 89 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Loyabad Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—None.

On behalf of the workmen.—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, the 31st December, 1985

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(48)/85-D.III (A), dated, the 1st June, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Sijua Area V of Messrs Bharat Coking Coal Limited in not giving Technical Grade-B to Shri Kasim Mian is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

The union representing the concerned workman did not file his W.S. alongwith his documents and list of witnesses within the time allowed by the order of reference. Accordingly a regd. notice was issued upon the union but inspite of the said notice the union or the workman did not turn up nor filed their W.S. along with their document and list of witnesses. The case was adjourned but even there no step was taken by the union. It appears therefore that the union or the concerned workman were not interested in the reference. Accordingly the reference was closed.

In view of the facts that the union or the concerned workman did not take any step in the reference a "No Dispute" award is passed in the case.

Dated : 31-12-1985.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(48)/85-D.III (A)]

A.V.S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1986

का. आ. 269:—समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 5 जुलाई, 1983 के पृष्ठ 2 और 3 पर प्रकाशित भारत सरकार में तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 494 (अ) दिनांक 5 जुलाई, 1983 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

सलाहकार समिति

1. केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री — अध्यक्ष
2. अपर सचिव, श्रम मंत्रालय — उपाध्यक्ष
3. संयुक्त सचिव, महिला कल्याण विभाग — पदेन सदस्य
4. सलाहकार, रोजगार और जनशक्ति, योजना आयोग। —यथोक्त—
5. संयुक्त सचिव और महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय —यथोक्त—
6. श्रम सचिव, पंजाब सरकार —यथोक्त—
7. श्रम सचिव, राजस्थान सरकार —यथोक्त—
8. श्रम सचिव, कर्नाटक सरकार —यथोक्त—
9. श्रम सचिव, केरल सरकार —यथोक्त—
10. श्रम सचिव, महाराष्ट्र सरकार यथोक्त—
11. संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय — सदस्य सचिव
12. श्री के. पी. रवीन्द्रनाथन, निदेशक, (कार्मिक), हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि., हंसालय भवन, नई दिल्ली—110001 — गैर-सरकारी सदस्य
13. डॉ० (श्रीमती) बी. रहमतुल्ला, चिकित्सा सलाहकार, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन, ऑफ साउथर्न इंडिया, पोस्ट बाक्स नं. 11, ग्लेनव्यू, कूनूर—643101 (तमिलनाडु) —यथोक्त—
14. श्रीमती मनोरमा वैद, मै. कैश्यू मैटल वर्कस, ए-7/2, न्यू फ्रैण्डस कालोनी, नई दिल्ली—110065 —यथोक्त—
15. डॉ. (कुमारी) एस. विजयलक्ष्मी, उपाध्यक्ष, इन्टक सेन्ट्रल वूमेन्स वर्कर्स कमेटी, 3, डूमिंग कुप्पम स्ट्रीट, सन्थोमे, मेलापोर, मद्रास—4 —यथोक्त—
16. सुश्री शोभा पेदनाकेर, मार्फत इंडियन नेशनल म्युनिसिपल एंड लोकल बाडीज वर्कर्स फैडरेशन, कामगार कार्यालय, टोपीवाला लेन, लेमिंगटन रोड, बम्बई—400007 —यथोक्त—
17. श्रीमती कमला सिन्हा, उपाध्यक्ष, हिन्द मजदूर सभा, एम.-3/32, श्री कृष्णा पुरी, पटना—800001 (बिहार)

गैर-सरकारी सदस्य

श्रीमती स्वदेश मेनन
मार्फत टी-15, अतुल ग्रोव रोड,
नई दिल्ली—110001 —यथोक्त—

श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य,
संसद सदस्य, 206, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली। —यथोक्त—

20. सुश्री डी. के. तारादेवी,
संसद सदस्य, 151, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली। —यथोक्त—

21. प्रो. (श्रीमती) असीमा चटर्जी,
संसद सदस्य, 301, इंडियन नेशनल
साइन्स अकादमी, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली। —यथोक्त—

22. श्रीमती इला आर. भट्ट,
जनरल, सेक्रेटरी,
सेल्फ इम्पलाइड वूमैन्स एसोसिएशन,
अहमदाबाद। —यथोक्त—

23. डा. वीना मजूमदार,
बी-43, पंचशील इन्कलेव,
नई दिल्ली—110017 —यथोक्त—

24. श्रीमती जया अरुणाचलम,
55, भीमसेना गार्डन रोड, मद्रास। —यथोक्त—

25. श्रीमती देवकी जैन, निदेशक,
इन्सटीट्यूट आफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट,
5, दीनदयाल उपाध्य मार्ग,
नई दिल्ली। —यथोक्त—

26. श्रीमती रनबीरकौर,
78. सैक्टर 2, चंडीगढ़—170001. —यथोक्त—

27. श्रीमती शशिकला सिंह,
69, भारत कालोनी, माडल टाउन,
रोहतक (हरियाणा) —यथोक्त—

28. श्रीमती मंजू चौधरी,
मार्फत श्री पी. के. चौधरी,
सदस्य, असम पब्लिक सर्विस कमीशन,
गौहाटी (असम) —यथोक्त—

29. श्रीमती के. कहेश्वरी अम्मा,
जानकी सहानम, अम्बाला पुजहा,
एलेपी जिला—केरल। —यथोक्त—

30. डा. बलरानीदत्ता,
संयोजक, महिला कांग्रेस,
उड़ीसा पी. सी. सी., स्टेशन रोड,
पुरी-2 (उड़ीसा) —यथोक्त—

31. श्रीमती इवेज कोटा कारवलबो
प्रैस चर्च के पीछे, मारगुआ (गोवा) —यथोक्त—

32. श्रीमती सरोजनी पुल्ला रेड्डी,
1-9-1, बोवेनपल्ली, सिकन्दराबाद
(आन्ध्रा प्रदेश) —यथोक्त—

33. श्रीमती रेणुका शर्मा,
एडवोकेट, पटना उच्च न्यायालय,
श्री कृष्णा पुरी, सहदेव महाता रोड,
पटना—1 (बिहार) —यथोक्त—

गैर-सरकारी सदस्य

34. श्रीमती अनसूया शर्मा,
अध्यक्ष, इन्टक, उत्तर प्रदेश शाखा,
वूमेन्स विंग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

35. श्रीमती पदमावती शास्त्री,
5-9-22/21, सेलेन्डु,
आदर्श नगर, हैदराबाद। —यथोक्त—

36. श्रीमती सुनीता गाडगिल,
6, जनपथ, नई दिल्ली। —यथोक्त—

37. श्रीमती लक्ष्मी देवी,
भूतपूर्व—एम. एल. सी.
17-ए, बी. के. गुदा, संजीवारेड्डी नगर,
हैदराबाद। —यथोक्त—

38. श्रीमती विजय लक्ष्मी,
हिमायत नगर, हैदराबाद। —यथोक्त—

39. श्रीमती चान्द डोडेजा,
पत्नी श्री ज्ञान पी. डोडेजा,
ग्रुप जनरल मैनेजर, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.,
भोपाल, मध्य प्रदेश —यथोक्त—

40. श्रीमती ललिता राव,
प्रेजीडेन्ट इंडियन मैडिकल एसोसिएशन, वूमैन विंग,
141, कैलाश शीव वैस्ट, बम्बई। —यथोक्त—

41. श्रीमती गिरिजा व्यास,
मार्फत श्रम सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर। —यथोक्त—

42. श्रीमती रोजा देशपांडे,
मार्फत अनुसूया सदन, सरवालाचन्द्र रोड, दादर,
बम्बई—400014 —यथोक्त—

43. सुश्री शांता शर्मा,
सामाजिक कार्यकर्ता, मोतीहारी, बिहार। —यथोक्त—

44. श्रीमती मेघा पाटिल,
प्रेजीडेंट, महिला संघ आफ महाराष्ट्र,
बी-ब्लाक, "जालदरशन" फ्लैट नं. 5,
प्रथम तल, नेपियन सी रोड, बम्बई। —यथोक्त—

[सं. एस.-42025/49/84—महिला सैल]
अशोक नारायण, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 6th January, 1986

S. O. 269.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976) and in supersession of notification of the Gazette of India in the erstwhile Ministry of Labour No. S.O. 494(E) dated the 5th July, 1983 published at pages 2 and 3 of Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India Extra-ordinary dated the 5th July, 1983, the Central Government hereby constitutes on Advisory Committee consisting of the following members:—

Advisory Committee

1. Union Minister of State for Labour —Chairman
2. Additional Secretary, Ministry of Labour —Vice-Chairman

3. Joint Secretary, — Ex-officio member
Department of Women's Welfare.

4. Adviser, —do—
Employment and Manpower,
Planning Commission.

5. Joint Secretary & Director General —do—
of Employment and Training,
Ministry of Labour.

6. Labour Secretary, —do—
Government of Punjab.

7. Labour Secretary, —do—
Government of Rajasthan.

8. Labour Secretary, —do—
Government of Karnataka.

9. Labour Secretary, —do—
Government of Kerala.

10. Labour Secretary, —do—
Government o f Maharashtra.

11. Joint Secretary, — Member Secretary
Ministry of Labour.

12. Shri K. P. Rabindernathan, — Non-official Member
Director (Personnel).
Hindustan Aeronautics Ltd.,
Hansalaya Building,
New Delhi-110001.

13. Dr. (Mrs.) V. Rahamathulla, —do—
Medical Adviser,
United Planters Association of
Southern India,
Post Box No. 11,
Glenview,
Coonoor-643 101 (Tamil Nadu)

14. Smt. Manorama Vaid, —do—
M/s. Keshew Metal Works,
A-7/2, New Friends Colony.
New Delhi-110065.

15. Dr. (Miss) S. Vijalakshmi, —d —
Vice-Chairman,
INTUC Central Women Workers Committee,
3, Dooming Kuppam St., Sunthome,
Mylapore, Madras-4.

16. Ms. Shoba Pednaker, —do—
C/o Indian National Municipal &
Local Bodies Workers Federation,
Kamgar Karyalaya, Topiwala Lane,
Lumington Road, Bombay-400007.

17. Smt. Kamala Sinha, —do—
Vice President,
Hind Mazdoor Sabha,
M 3/32, Shri Krishna Puri,
Patna-800 001 (Bihar).

18. Smt. Swadesh Menon, —do—
C/o T-15, Atul Grove Road,
New Delhi—110001,

19. Smt. Indumati Bhattacharya, M.P. —do—
206, North Avenue,
New Delhi.

20. Ms. D. K. Taradevi, M.P. —do—
151, South Avenue,
New Delhi.

21. Prof. (Mrs.) Asima Chatterjee, M.P. —do—
301, Indian National Scince,
Academy,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.

22. Mrs. Ela R. Bhatt, — Non-official member
General Secretary,
Self Employed Women's Association,
Ahmedabad.

23. Dr. Veena Majumdar, —do—
B-43, Panchasheel Enclave,
New Delhi-110017.

24. Ms. Jaya Arurachlam, —do—
55, Ahimsana Garden Road,
Madras.

25. Smt. Devaki Jain, —do—
Director,
Institute of Social Studies Trust,
5, Deen Dayal Upadhayay Marg,
New Delhi.

26. Smt. Ranbit Kaur, —do—
78, Sector 2,
Chandigarh. 170001.

27. Smt. Sasikala Singh —do—
69, Bharat Colony,
Model Town,
Rohtak (Haryana).

28. Smt. Manju Chowdry, —do—
C/o P. K. Chowdry,
Member
Assam Public Service Commission,
Gauhati (Assam).

29. Smt. K. Kaheswari Amma, —do—
Janaki Sadanam
Ambalapuzha
Allepey District Kerala.

30. Dr. Balranidutta —do—
Convenor Mahila Congress,
Orissa P.C.C.
Station Road
Puri-2 (Orissa).

31. Smt. Ivez Cota Cervalbo, —do—
Behind Grace Church,
Margua (Goa)

32. Smt. Sarojini Pulla Reddy, —do—
1-9-1, Bowenpalli,
Secunderbad (Andhra-Pradesh)

33. Smt. Renuka Sarma, —do—
Advocate,
Patna High Court,
Sr. Krishna Puri,
Sahadev Mahata Road,
Patna-1 (Bihar).

34. Smt. Anasuya Sarma, —do—
Chairman, INTUC, UP Branch,
Women Wing,
Lucknow (U.P.).

35. Smt. Padmavathi Shastri, —do—
5-9-22/21, Sailendu,
Adarshnagar,
Hyderabad.

36. Smt. Sunita Gadgil, —do—
6. Janpath,
New Delhi.

37. Smt. Laxmi Devi, Ex-MLC —do—
17-A, B. K. Guda,
Sanjivareddy Nagar,
Hyderabad.

Non-Official Member

38. Smt. Vijay Laxmi, Himayat Nagar, Hyderabad.	—do—
39. Smt. Chand Dodeja, W/o Shri Gian P. Dodeja, Group General Manager, B.H.E.L. Bhopal, Madhya Pradesh.	—do—
40. Smt. Lalita Rao, President Indian Medical Association, Women Wing, 141, Kailash Sion West, Bombay.	—do—
41. Smt. Girija Vyas, C/o Labour Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur.	—do—
42. Smt. Raza Deshpande, C/o Anusuya Sadan, Sir Bhalachandra Road, Dadar, Bombay-400014.	—do—
43. Ms. Shanta Sharma, Social Workers, Motihari, Bihar.	—do—
44. Mrs. Megha Patil, President, Mahila Sangh of Maharashtra, B-Block, 'Jaldarshan' Flat No. 5, first floor, Napeonsea Road, Bombay.	—do—

[No. S-42025|49|84-Women's Cell]
ASHOK NARAYAN, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1986

का. आ. 270.—मैसर्स तोसनीवाल इन्ट्रूमेन्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि., 118/10, सिविल लाईन्स, सावित्री कालेज रोड, अजमेर (राजस्थान/2752), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए य फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।